

11/7/19

पत्रावली पेठा हुई

वादी अधिवक्ता अनु। प्रतिवादीनी 17 के अधिवक्ता अनु।
शेख प्रतिवादीगण अनु।

पत्रावली का आवबोधन किया एवं प्रतिवादी 17
के वकील को सुना। पत्रावली में दिनांक 6/5/18

को प्रतिवादीगण की तलवी जीबने रोजक-25
एरी से किये जाते के आदेश परित्त हुये हा

इस आदेश के बावजूद भी बार-बार वादी
अधिवक्ता को आधिक आदेश कि पालना हेतु

आदेशित किया गया किंतु वादी अधिवक्ता
अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हा।

अतः वादी का वाद अल्प पालना एवं
अल्प दखली में स्वारित्त किया जाता हा।

पत्रावली फायल सुमार होकर दारिफ्त
दफ्तर हा।



(1008) 15/7/19

